

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अवतार सिंह बनाम जसपाल सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 (क)सी.पी.सी नम्बर 04 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	---

26.03.2021

प्रार्थी अवतार सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराह के द्वारा कैंवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 8 एफ ए की जमाबन्दी सम्बत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 15/18 के नु. 1, 26, 27, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 57/2, 57/9 के 50.604 हैक्टर व चक 6 एफ ए की जमाबन्दी सम्बत 2073 ता 76 के खाता संख्या 6/75 के मुरब्बा नम्बर 7, 14, 15, 22, 23, 37, 60/12, 60/18 के 37.813 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला के सम्बन्ध मे यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

**S. D. O.**

२४/३

पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदम केसलु शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो

25-6-21